

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जनवरी 2019—पौष 11, 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019 (पौष 11, 1940)

क्र. 17-म.प्र.वि.स.-15-विधान-19.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

“मैं, आनंदीबेन पटेल, मध्यप्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री दीपक सक्सेना, सदस्य, विधान सभा को एवं तदनन्तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा संविधान के अनुच्छेद 180(2) के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति नियुक्त करती हूँ जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे.

भोपाल :
दिनांक 1 जनवरी 2019

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.